भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 310

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेटेंट और ट्रेडमार्क आवेदन

***310. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पेटेंट और ट्रेडमार्क प्राप्त करने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई;

(ख) स्टार्टअप्स, एमएसएमई, उच्च शिक्षा संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों हेतु निवासी आवेदकों द्वारा की गई पेटेंट फाइलिंग और उनसे प्राप्त अनुदान तथा अनिवासी अथवा विदेशी संस्थाओं द्वारा की गई फाइलिंग का सेक्टरवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिए गए पेटेंट की कानूनी प्रवर्तनीयता का ब्यौरा क्या है तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : पिछले दो वर्षों के दौरान दायर किए गए तथा प्रदान किए गए पेटेंट और व्यापार चिह्न आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आईपी	2022-23		2023-24	
	दायर	प्रदत्त/ पंजीकृत	दायर	प्रदत्त/ पंजीकृत
पेटेंट	82811	34134	92168	103057
व्यापार चिह्न	466580	231977	476089	279717

(ख) : पिछले दो वर्षों में दायर और प्रदान किए गए पेटेंटों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध क** में दिया गया है।

(ग) : प्रदान किए गए पेटेंटों की कानूनी प्रवर्तनीयता तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पेटेंटों की कानूनी प्रवर्तनीयता

पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 11क के अनुसार, पेटेंट के स्वामी को वही विशेषाधिकार प्राप्त हैं, मानो उसे आवेदन के प्रकाशन की तिथि को ही पेटेंट प्रदान कर दिया गया था। इसलिए, पेटेंट के स्वामी पेटेंट आवेदन के प्रकाशन की तिथि या उल्लंघन की तिथि में से जो भी पहले हो, उससे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। हालांकि, उल्लंघन के मामले में मुकदमा, पेटेंट प्रदान किए जाने के बाद ही दायर किया जा सकता है।

पेटेंट का स्वामी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना और आगे के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जैसे उपायों की मांग कर सकते हैं। इन उपायों को उपयुक्त न्यायालयों, में दीवानी मुकदमे के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें उच्च न्यायालय और विशेष वाणिज्यिक न्यायालय शामिल हैं। इन उपायों में (क) उल्लंघन के कारण होने वाले रॉयल्टी और अन्य वित्तीय नुकसान सहित आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना; (ख) निषेधाज्ञा - या तो अस्थायी, कानूनी कार्यवाही के दौरान उल्लंघनकर्ता को रोकने के लिए, या स्थायी, अदालत के अंतिम निर्णय के बाद आगे की उल्लंघनकारी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए, शामिल हैं। ये उपाय बौद्धिक संपदा की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेटेंट किए गए आविष्कारों के अनधिकृत उपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हालांकि, भारत की पेटेंट प्रवर्तन प्रणाली कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामलों में सुरक्षा प्रदान करते हुए पेटेंट स्वामियों के अधिकारों की रक्षा करके एक आदर्श संतुलन बनाती है। पेटेंटधारक उल्लंघन के लिए हर्जाना और निषेधाज्ञा जैसे उपायों की मांग कर सकते हैं, जबकि उल्लंघन के निराधार खतरों का सामना करने वाले व्यक्ति भी पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 106 के तहत घोषणा, निषेधाज्ञा और हर्जाने जैसी राहत की मांग कर सकते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण अन्यायपूर्ण कानूनी कार्रवाइयों को रोकते हुए पेटेंट अधिकारों की सुदृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

<u>बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए हाल में किए गए उपाय</u>

1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 से भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी मामलों के निर्णयों में तेजी आई है। कड़ी समयसीमा, संक्षिप्त निर्णय और केस प्रबंधन सुनवाई के द्वारा अधिनियम कानूनी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सुव्यवस्थित किया है, जिससे तेजी से निपटान सुनिश्चित हुआ है और वाणिज्यिक न्यायालयों की दक्षता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों ने आईपी से संबंधित मामलों के निपटान के लिए विशेष बौद्धिक संपदा प्रभाग (आईपीडी) की स्थापना करना शुरु किया है। अब तक, तीन उच्च न्यायालयों, दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विशेष आईपी प्रभाग स्थापित किए गए हैं। बौद्धिक संपदा प्रभागों (आईपीडी) की स्थापना के साथ वाणिज्यिक न्यायालय प्रणाली ने भारत में आईपी अधिकारों की सुरक्षा व्यवस्था में काफी बढ़ोतरी की है।

2. सरकार ने भारत की आईपी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- एक गतिशील, वाइब्रेंट और संतुलित आईपीआर प्रणाली के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति।
- ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए जन विश्वास अधिनियम।
- आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने, विलंब को समाप्त करने तथा पेटेंट प्रदान करने/पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आईपी नियमों में संशोधन।
- समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी के लिए श्रमशक्ति का संवर्धन।
- आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण तथा ऑनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग सिस्टम का कार्यान्वयन।
- स्टार्टअप्स, एमएसएमई, शिक्षण संस्थाओं तथा वास्तविक व्यक्तियों के लिए शुल्क में बड़ी रियायत।
- आईपी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार।
- स्टार्टअप्स, एमएसएमई, महिला आवेदकों तथा सरकारी संस्थाओं/विभागों/पीएसयू, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दायर अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में भारत का चयन करने वाले आवेदकों आदि के लिए त्वरित पेटेंट जांच।
- इच्छुक स्टार्टअप्स, तथा भारत में स्थापित प्रौद्योगिकी और नवप्रयोग सहायता केंद्रों (टीआईएससी) का इस्तेमाल करने वाले नवप्रयोगकर्ताओं/निर्माताओं तथा शिक्षण संस्थानों के पेटेंट, व्यापार चिह्न और डिजाइन के संरक्षण में सहायता के लिए एसआईपीपी स्कीम।
- सुदृढ़ शिकायत समाधान तंत्र।

*****

अनुबंध-क

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 310 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>निवासी</u>

क्षेत्र	एमएसएमई				स्टार्टअप				शिक्षण संस्थान*				वास्तविक व्यक्ति				वा स्तविक व्यक्तियों के अलावा*				कुल			
	2022-2023		2023-2024		2022-2023		2023-2024		2022-2023		2023-2024		2022-2023		2023-2024		2022-2023		2023-2024		2022-2023		2023-2024	
	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त	फाइलिंग	प्रदत्त
रसायन	310	90	406	152	151	48	185	108	1882	290	2581	763	2043	459	2129	728	1390	1161	1533	1735	5776	2048	6834	3486
पॉलीमर	19	8	25	7	23	7	25	8	207	24	337	90	174	48	189	64	186	178	157	254	609	265	733	423
कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स	210	53	278	119	405	116	561	135	5224	67	8553	370	5315	302	5404	627	1067	914	1746	2179	12221	1452	16542	3430
संचार	30	18	65	36	80	23	72	26	657	11	815	78	804	57	535	149	247	219	544	523	1818	328	2031	812
विद्युत	161	36	159	64	226	50	259	111	892	76	1362	319	872	147	870	467	413	436	624	1319	2564	745	3274	2280
भौतिकी	42	14	37	31	78	23	69	41	948	53	1247	190	652	92	626	272	230	246	311	785	1950	428	2290	1319
बायोमेडिकल	97	25	101	48	142	40	179	69	1932	40	2637	247	1419	196	1497	526	207	125	304	697	3797	426	4718	1587
मेकैनिकल	218	102	255	248	309	93	471	196	5305	138	4823	818	2258	675	2011	2045	1634	1358	1565	5557	9724	2366	9125	8864
अन्य क्षेत्र	242	51	2095	89	602	53	725	53	2108	104	951	413	1062	392	1170	766	828	578	1086	1557	4842	1178	6027	2878
कुल	1329	397	3421	794	2016	453	2546	747	19155	803	23306	3288	14599	2368	14431	5644	6202	5215	7870	14606	43301	9236	51574	25079

**अनुसंधान संस्थाओं के लिए अलग से श्रेणी नहीं है। वे या तो शिक्षण संस्थानों के तहत आवेदन कर सकते हैं अथवा वास्तविक व्यक्तियों के अलावा अन्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।*

<u>अनिवासी अथवा विदेशी एंटिटी</u>

क्षेत्र	**2022-23**	**2023-24**
रसायन	5742	6199
पॉलीमर	1330	1284
कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स	7842	8535
संचार	7845	6655
विद्युत	2605	3071
भौतिकी	1486	1931
बायो-मेडिकल	2113	2266
मेकैनिकल	5816	6213
अन्य क्षेत्र	4731	4440
कुल	**39510**	**40594**

*****